न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
वाद संख्या–192/1997

1. रमजू
2. शुक्ला
3. छुट्टन पिसरान जुम्मा जाति तेली मुसलमान निवासी ढिगारियाभीम तह0 बसवा।

–: वादीगण

बनाम

1. नहन्या पुत्र सुखराज
2. रामखिलाडी पुत्र घबलू जाति मीना निवासी ढिगारिया भीम तह0 बसवा।
3. तहसीलदार बसवा लैण्ड होल्डर राज0 सरकार।

–: प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

दिनांक निर्णय–19.03.2018

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि काश्त आराजियात ख0 नं0 648 रकबा 1 बिस्वा, ख0 नं0 649 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा ख0 नं0 656 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा बारानी ए0 वाके रामा मौजा ढिगारिया भीम तह0 बसवा जिसके सम्वत 2016 में कन्सोलिडेट होने के उपरान्त ख0 नं0 114 तथा 241/114 दर्ज हुए तथा अब मौजूदा सेटिलमेन्ट के उपरान्त जमाबन्दी सम्वंत 2052 में ख0 नं0 586 ला0 592 दर्ज हुए है जिसे यहॉ के उपरान्त भूमि मुतदाविया से सम्बोधित किया गया है जो प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के हक हकूक खातेदारी की भूमि रही थी जिसे उक्त प्रतिवादीगण संख्या एक व दो ने अपने हकूक खातेदारी का इस्तेमाल करते हुए मिति जेठ सुदी 2 सम्वत 2011 को वादीगण के पिता जुम्मा पुत्र नाथू को 700/– रूपये में अन्तरित कर दिया तथा इस बाबत एक लिखावट भी वादीगण के पिता जुम्मा की बही में लिखदी तथा प्रतिफल की चुकती रकम वादीगण के पिता जुम्मा से प्राप्त करके उसका वास्तविक कब्जा जुम्मा को सम्भला दिया तब से उक्त जुम्मा एव हम वादीगण उक्त भूमि मुतदाविया पर आज

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

दिन तक लगातार काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विक्रय की गई भूमि का रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 2.3.1959 को तहसील बसवा में उपपंजीयक कार्यालय में तस्दीक कर दिया। वादीगण द्वारा खरीद के समय से ही आज दिनांक तक भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है।

भूमि मुतदाविया को खरीदने के उपरान्त वादीगण एवं उनके पिता जुम्मा ने उसे सुधारने, अधिक उपजाउ बनाने तथा उसे उनन्त करने में भारी लागत एवं मेहनत लगायी तथा सन् 1970 में उसमें पुख्ता चाह का निर्माण किया तथा सन् 1974 में उसमें इंजन लगाया जिसके डीजल का परमिट भी सन् 1980 में बनवाकर तथा डीजल लेकर उससे अपना इंजन चलाकर पानी लेते रहे तथा फिर सन् 1992 में उक्त चाह में विद्युत कनैक्शन लेने हेत आवेदन पेश करके सन् 1992 में विद्युत कनेक्शन संख्या 17100076 हाल नया नम्बर 76 लिया तथा उक्त चाह में विद्युत मोटर फिट की। जिसकी पैदावार में में वादीगण ही मुस्तफीद होते चले आ रहे है। सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है तथा पभूमि मुतदाविया में प्रतिवादीगण के समस्त हक हकूक खातेदारी समाप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण ने उक्त आशय का एक शपथ पत्र भी दिनांक 29/11/1991 को भूमि मुतदाविया में हक में विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु वादीगण बनवाया था। वादीगण एवं उनके पिता के कब्जे बाबत् खसरा गिरदावरियों में लगातार इन्द्राज दर्ज होते चले आते है।

वाद पत्र के पैरा 5 में दर्ज कारणों से भी वादीगण के खातेदारी अधिकार नही माने जावे तो वादीगण की यह वैकल्पिक दलील है कि वादीगण के अपने पिता जुम्मा के समय से ही गत 43 वर्षो से भी अधिक समय से भूमि मुतदाविया पर खुलासा तौर पर प्रतिवादीगण संख्या एक ला0 तीन की जानकारी में उनके हितो के विपरीत बिना रोक टोक एवं बिना उज्र लगातार काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होते चले आने से तथा प्रविादीगण संख्या एक लगायत तीन का वादीगण को बेदखल करने के कानूनन अधिकार बेवजह गुजर जाने मियाद समाप्त हो जाने से तथा वादीगण का उक्त 43 वर्षो से अधिक समय से लगातार भूमि मुतदाविया पर एडवर्स पजेशन रहता चला आने से वादीगण को भूमि मुतदाविया में हकूक खातेदारी हॉसिल हो चुके है तथा वादीगण अपने हक में खातेदारी की अधिघोषणा कराने के मुश्तहक अधिकारी है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

वादीगण भूमि काश्त आराजियात मुन्दर्जे ख0 नं0 114, 241/114 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा हाल ख0 नं0 586 ला0 592 रामा ढिगारिया भीम तह0 बसवा वाद पत्र के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण सं0 एक व दो के हकूक खातेदारी समाप्त हो चुके है तथा इसी अनुसार खाते खतौनी जमाबन्दी पर्चे पास बुक इत्यादि रिकार्ड ऑफ राइटस में उक्त भूमि मुतदाविया की खातेदारी के इन्द्राजात का दुरूस्त कराया जाकर उससे प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराया जावे तथा वादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज कराया जाने की इश्तदुआ वादीगण द्वारा वाद पत्र में की है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे की वे वादीगण को भूमि मुतदाविया में उनके कब्जे काश्त में दखल अथवा मजाहमत नही करें तथा उससे वादीगण को जबरन बेदखल करने अथवा स्वयं कब्जा नाजायज करने से दवामी तौर पर बाज व मुमतनाह रहने की इश्तदुआ की है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर जवाब लिया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के सभी जिम्मनो को स्वीकार करते हुए मुताबिक इस्तदुआ वाद पत्र डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की है।

जवाब दावा एवं साक्ष्य सबूत के बाद उपजिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा प्रकरण का दिनांक 14.09.2000 को अपने निर्णय द्वारा दावा खारिज कर दिया गया। दावा खारिज होने पर वादीगण द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील की गई अपील में दिनांक 26.07.2002 को दावा वादी डिक्री किया जाकर इस निर्देश पर रिमाण्ड किया की प्रकरण धारा 42 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधान के अनुसार हस्तान्तरण अवैध है इस हेतु राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर सज्य सरकार को सुनकर जवाब लेकर नये सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण लौटाया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार को बार बार नोटिस के उपरान्त उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही कर जवाब पैरोकार सरकार बन्द कर दिया गया।

प्रकरण में पुनः सुनवाई कर बहस उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक सुनी गयी। बहस सुनने व पत्रावली प्रस्तुत जवाब प्रतिवादीगण, रजिस्टर्ड दस्तावेज, दिनांक 2.3.1959 साक्ष्य वादीगण के अवलोकन के पश्चात दावा वादीगण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए हस्तान्तरण अवैध होने से दावा वादी खारिज किया

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

जाता है। आदेश आज दिनांक 19.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

19/3/18

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई